रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-128

REGISTERED NO. D. (D.N.)-128

Rs. 18200

G.S.R. No. 143

Research Officer

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 5, 1988/फाल्गुन 15, 1909
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1988/PHALGUNA 15, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम, जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of a general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1988

सा.का.नि. 125--राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्वाचन आयोग (कर्मचारिवृंद की भर्ती) नियम, 1974 को जहां तक वे उपनिर्वाचन आयुक्त, सचिव, अवर सचिव, अवर सचिव (विधि), अनुसंधान अधिकारी, अधीक्षक (विधि) अनुभाग अधिकारी, हिंदी अधिकारी, ज्येष्ठ निजी सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, अनुसंधान सहायक, आशुलिपिक श्रेणी 2 और सहायक के समूह "क" और समूह "ख" पदों को लागू होते हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निर्वाचन आयोग में समूह "क" और समूह "ख" पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचन आयोग (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमानः उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदिः उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताः वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

362 GI/88—1

पाइलेट के रूप में 125 घंटों का उड़ानकाल जिसमें से 15 घंटों से अन्यून का उड़ानकाल अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 6 मास की अवधि में पूरा कर लिया गया हो: (ग) अनुभाग 6 के पैरा 1 के उपपैरा (ग) की मदें (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :—

(1) समादेशक पाइलेट के रूप में 150 घंटों से अन्यून का उड़ानकाल या यदि उसने अनुमोदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है तो समादेशक पाइलेट के रूप में 125 घंटों का उड़ानकाल, जिसके अंतर्गत देश में आर-पार उड़ानकाल के कम से कम 50 घंटे भी हैं।

[फा.सं. ए.वी. 11012/14/87-ए]
नसीब सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 1 तारीख 27 मार्च, 1937 में अधिसूचना सं.का. 26 तारीख, 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात उनका संशोधन भारत के राजपत्र, भाग 2. खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 15 सितम्बर, 1962 में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 1238, तारीख 8 सितम्बर, 1962 द्वारा और भारत के राजपत्र भाग 92, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 23 जनवरी, 1965 में प्रकाशित सा.का.नि.सं. 129, तारीख 16 जनवरी, 1965 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 2nd February, 1988

G.S.R. 142.—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) is hereby pubilshed as required by section 14 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft rules will be taken into consideration after the expiry of the period of 45 days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 1937.

2. In the Aircraft Rules, 1937;

(i) in rule 68 for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that such flights are carried out within the local flying area or designated flying area of a licensed aerodrome or a Government aerodrome and prior notice of the flight is given to the person incharge of the aerodrome from which the flight is made"

(ii) in Schedule II:

(a) in sub-para (d) of paragraph 1 of section 'D' fo. the words and figures "not less than 250 hours of flight time, which shall include" the words and figures "not less than 250 hours of flight time or 200 hours of flight time if he has completed a course of approved training and the said 250 hours or 200 hours, as the case may be, shall include" shall be substituted;

(b) for item (i) of sub-para (d) of para 1 of Section 'D', the following item shall be substituted, namely :

"(i) not less than 150 hours of flight time as Pilot-in-Command, or 125 hours of flight time as Pilot-in-Command if he has completed a course of approved training of which not less than 15 hours shall have been completed within a period of 6 months immediately preceding the date of application for the licence".

(c) for item (i) of sub-para (c) of para 1 of Section 'G', the following item shall be substituted, namely :—

(i) not less than 150 hours if flight time as Pilot-in-Command, or 125 hours of flight time as Pilot-in-Command if he has completed a course approved training, including not less than 50 hours of cross-country flight time".

[File No. AV. 11012/14/87-A]
NASIB SINGH, Under Secy.

FOOT NOTE :

The Principal Rules were published vide Notification No. V-26 dated the 23rd March, 1937 in Part I, Gazette of India dated 27th March, 1937.

Subsequently amended by GSR 1238 dated 8th September, 1962 published in Part II, Section 3, sub-section (i) in the Gazette of India dated 15th September, 1962, and

GSR 129 dated 16th January, 1965 published in Part II, Section 3, sub-section (i) in the Gazette of India dated 23rd January, 1965.

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1988

सा. का. नि. 143 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपघर और दीपपोत विभाग (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 1967 का उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, दीपघर और दीपपोत विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपघर और दीपपोत विभाग (अनुसंधान अधिकारी) — भर्ती नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान अधिकारी	1* (1987) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित	2200-75-2800 द.रो. 100-4000 रु.	चयन	35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
8	9	10
आवश्यक : मद्रास इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी या किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया यंत्र प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्रकाश विज्ञान या स्पेक्ट्रम विज्ञान में विशेषता सहित अनुप्रयुक्त भौतिक में एम. एस. सी. डिग्री टिप्पण : 1— अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	एक वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति ऐसे वैज्ञानिक सहायक जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
13	14
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय – सदस्य (iii) महानिदेशक, दीपघर और दीपपोत – सदस्य समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) (क) संयुक्त सचिव, भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय – अध्यक्ष (ख) महानिदेशक, दीपघर और दीपपोत – सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 3/2/86-प्रशा.]

डी. डी. सूद, अवर सचिव (एस. एल.)

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

New Delhi, the 21st January, 1988

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Lighthouses and Lightships (Research Officer) Recruitment Rules, 1967 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the Department of Lighthouses and Linghships, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Research Officer) Recruitment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, Classification and Scale of Pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of Recruitment, Age Limit and other Qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 the said Schedule.

4. Disqualification.—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of he provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these Rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-Selection post	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS(P) Rules, 1972	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
Research Officer.	1* (1988) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service * Group 'A' Gazetted.	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.	Selection	35 years (Relaxable for Government sesservants uptp to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	No	Essential : Post-Graduate diploma in Instrument Technology awarded by Madras or Institute of Technology or any other recognised Ins titute of Technology. OR M.Sc. degree in applied Physics with 'specialisation in Optics or Spectroscopy from a recognised University or equivalent. Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Age : No Educational Qualification : Yes	One year.	By Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion : Scientific Assistants with 5 years regular service in the Grade.	Grade A D Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (i) Chairman/Member of Union Public Service Commission —Chairman (ii) Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Surface Transport —Member (iii) Director General of Lighthouses and Lightships —Member Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

	13
	(a) Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Surface Transport —Chairman (b) Director General of Lighthouses and Lightships —Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for apporoval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

M

[No. 3/2/86-Admn. (SL)]

D. D. SOOD, Under Secy. (SL)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988